

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/री-20/पार्ट-2/से0नि0/2019/ दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	आयशा के.एस. (Ayisha K.S.), महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	16.07.59	31.12.83	31.07.19
2	अन्जना शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भरतपुर	30.07.59	17.08.82	31.07.19
3	महालक्ष्मी जोशी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डूंगरपुर	13.08.59	27.07.85	31.08.19
4	वलसम्मा थॉमस, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	रीकर	25.08.59	30.09.81	31.08.19
5	सन्तरा देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भीलवाडा	28.10.59	29.04.87	31.10.19
6	पुष्पा चौधरी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भरतपुर	05.10.59	05.11.86	31.10.19
7	इमेलडा, नर्स-2	वासवाडा	01.12.59	03.08.85	30.11.19
8	लक्ष्मी भोई, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डूंगरपुर	12.12.59	19.06.85	31.12.19
9	जाना देवी चौहान, नर्स-2	जोधपुर	27.01.60	25.01.86	31.01.2020
10	थनकामणि अम्मा ई.आर. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर-प्रथम	05.02.60	20.07.85	29.02.2020
11	शोभना के.आर., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अलवर	01.04.60	08.04.82	31.03.2020
12	लता अरुण, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बाडमेर	12.03.60	25.02.84	31.03.2020
13	इन्द्रा वर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर-प्रथम	10.07.60	20.11.86	31.07.2020


यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-sdr
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/री-20/पार्ट-2/से0नि0/2019/932 दिनांक - 5/9/19
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये-
1. निदेशक, पेंशन एव पेनरर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।

2. निदेशालय, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाये, ई0एस0आई0 योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड. जयपुर-6।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, भरतपुर/उदयपुर/अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर/डूंगरपुर/सीकर/भीलवाडा/बांसवाडा/अलवर/बाडमेर / जयपुर-प्रथम।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रूपवास, नगर, भरतपुर/ बिछीवाडा, आसपुर डुंगरपुर/फेतहपुर, सीकर/जहाजपुर, भीलवाडा/तिजारा, (अलवर)/वाडमेर/गोविन्दगढ, (जयपुर-प्रथम)।
6. वरिष्ठ, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर/कलिजंरा।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पा0स्वा0केन्द्र, जहाजपुर/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, नं0 4, जोधपुर/भादरेश।
8. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग) मुख्यालय।
9. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वाश उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।


 (मुकुल शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर